

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4696 /

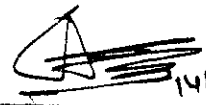
जबलपुर, दिनांक 16 / 09 / 2019

श्रीमती करुणा व्यास, पत्नी स्व० श्री सचिन व्यास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट के पद पर वेतनमान रुपये 4440-7440/-+ग्रेड पे रू. 1300/-) (7 वें वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की स्थापना पर अनुकंपा नियुक्ति निर्धारित शैक्षणिक अर्हता 8 वीं उत्तीर्ण की शर्त को शिथिल करते हुए प्रदान की जाती है :-

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार खण्डपीठ इन्दौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।

9. यह कि यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
महोदय के आदेशानुसार

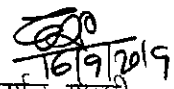

(राजेंद्र कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

Par

पृष्ठांकन क्रमांक B/4697 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 16/09/2019

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर, (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./आई.एल./ (सतर्कता)/एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर,,
5. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्यायिक) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी. एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
13. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. श्रीमती करुणा व्यास, पत्नी स्व० श्री सचिन व्यास, 60/1, बक्षीबाग, इन्दौर, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Par